व मोबाईल उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

तारीख रजू.................

2/160/2022

रविकुमार बनाम प्रहलाद वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.06.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 1953, वाके ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 08.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 08.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
8/7/m	9/7/22	

वकील प्रार्थी .... उपस्थित

साक्ष्य [illegible] दिनांक 2/6/22

की प्रस्तुत [illegible] .... तलबी [illegible] आदेश मौका

दिनांक .... 18/11/22 .... को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

18/11/22 वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी अपने प्रा० पत्र अर्जी को और चलाना नहीं चाहते हैं उन्होंने अपने प्रा० पत्र अर्जी को Not Press कर दिया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अर्जी वकील प्रार्थी के Not Press के आधार पर [illegible] स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल इन्द्राज होकर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वाद के बाद [illegible] [illegible] सुनाया

Not press [illegible]

SDO

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०